न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 789/2023

अनवान : –

1. भरतलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. रचना पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 32/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि व रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 49/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4. 4130 है0 भूमि में से 1265/4413 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी की पैतृक दादा लाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 की खातेदार काश्तकार हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा वयोवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 2 का कोई [illegible] शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा न[illegible] के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 32/27 के कुल [illegible] 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 [illegible] व रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता सं[illegible]/134 के कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:03 IST
Reason: SelfAttested

खसरे 2 की कुल तादादी 4.4130 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पित के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी एवं उनकी फौतगदी के बाद वादी के पिता प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत [illegible] अनुसार रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता [illegible] 32/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि व रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 49/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.4130 है0 भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:03 IST
Reason: SelfAttested

1265/4413 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो कि वादी के पिता है।। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी और उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरंपच ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 32/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि एवं रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 49/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.4130 है0 भूमि में से 1265/4413 हिस्सा भूमि दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:03 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 789/2023

अनवान : –

1. भरतलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. रचना पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 789 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 32/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि एवं रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 49/134 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.4130 है0 भूमि में से 1265/4413 हिस्सा भूमि दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:03 IST
Reason: SelfAttested